रजिस्ट्री सं० डी० (डी० एन०)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 215] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 1985/कार्तिक 10, 1907
No. 215] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 1985/KARTIKA 10, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विकास)

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1985

संकल्प

स एफ 14-7/85-सी. एच.-6 —सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का 21) तथा पजाब संशोधन अधिनियम, 1957 द्वारा संशोधन के अनुसार पंजीकृत उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के नियमों तथा विनियमों की धारा (1) के खंड 4-क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा तत्काल से पंजाब के राज्यपाल श्री अर्जुन सिंह को केन्द्र के अध्यक्ष के रूप में नामांकित करती है ।

के. जी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Culture)

New Delhi, the 31st October, 1985

RESOLUTION

No. F. 14-7/85-CH-6.—In exercise of the powers conferred under Clause (1) of the Section 4-B of the Rules and Regulations of the North Zone Cultural Centre registered under Societies registration Act, (XXI of 1860) and as amended by the Punjab amendment Act, 1957, the Central Government hereby nominates Shri Arjun Singh, Governor of Punjab as Chairman of the Centre with immediate effect.

K. D. GUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985